पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालयः 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 कॉरपोरेट कार्यालयः एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 https://punjabandsindbank.co.in/

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यकलाप (याँ) को परिचालित करने के लिए वीडियाँ कॉन्क्रेसिंग (वीसी)/ या अन्य श्रव्य-दृश्य साथनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन मंगलवार, 05 अगस्त 2025 को प्रात: 11:00 बजे किया जाएगा (बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा)

सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप :

मद संख्या 1 : यथा 31 मार्च 2025 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ- हानि खाते, लेखांकन द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र और लेखांकन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन प्रदान करना और उसे अंगीकृत करना।

मद संख्या 2 : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभाश की घोषणा करना।

विशेष व्यावसायिक कार्यकलाप :

मद संख्या 3 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीवा को नियक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ईएफ. नं. 4/5(ii)/2023-बीओ.। दिनांकित 09 अगस्त, 2024 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत कार्यालय में कार्य-ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीवा की नियुक्ति को एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 4 : बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वितीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ एफ. नं. 6/3/2011-बीओ। दिनांकित 12 दिसंबर, 2024 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनयम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (c) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेश तक बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 5 : बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना -

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 25 (2A) के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिस्थना संदर्भ एफ. न. 6/1(viii)/2024-बीओ:। दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और

अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (h) व उपधारा (3A) के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 6 : बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा के कार्यकाल विस्तार को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ, नं. 4/3/2024-बीओ-। दिनांकित 02 जन, 2025 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित अवधि से परे, सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात 28 फरवरी, 2027 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा के कार्यकाल विस्तार को एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 7 : वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स आर एस कथरिया एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24A और अन्य प्रयोज्य विधि, यदि कोई हो, सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों (तत्समय प्रवृत्त इसमें किसी भी सांविधिक संशोधनों या पुनराधिनियमन सहित) के अनुसरण में, मेसर्स आर एस कथरिया एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (फर्म पंजीकरण संख्या S1999DE877800) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए एतदद्वारा बैंक सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश दारा

नई दिल्ली दिनांक : 14.07.2024

साकेत मेहरोत्रा कंपनी सचिव

टिप्पणियां

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (संबी) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपन्नों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 14वें एजीएम के लिए मानित स्थान नई दिल्ली में बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शैयर व बैठकें) विनिमय, 2008 के विनियमन 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

 परोक्षी की नियुक्ति : बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियक्ति करने हेत पात्र होंगे तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओए वीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसरण में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थित को अनावश्यक बनाया गया है। तदनसार, शैयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-बोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रति. बैठक की तिथि से 04 दिन पूर्व अर्थात गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को अपराह 05:00 बजे तक या इससे पूर्व कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक -३, पूर्वी किंदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं की जाती है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण :

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही, बुधवार, 30 जुलाई 2025 से मंगलवार, 05 अगस्त 2025 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

5. एजीएम आयोजित करने की सूचना बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर अपलोड कर दी गई है। शेयर बाज़ारी यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी सूचना का अवलोकन किया जा सकता है। एजीएम की सूचना, सीडीएसएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा और एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

6. लाभांश का भुगतान :

लाभाश भगतान करने के लिए अभिलिखित तिथि मंगलवार, 29 जलाई 2025 होगी।

15वीं वार्षिक सामन्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2024 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रत्येक ११० अंकित मृत्य के प्रति इक्रिटी शेयर पर १०.०७ के लाभांश की अनुशंसा की है। वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरथारकों द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश का भगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नलिखित में समाविष्ट है :

 इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/ सीडीएसएल के अभिलेख के अनुसार मंगलवार, 29 जुलाई 2025 को कार्य-समय की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामी के रूप में, या

 मंगलवार, 29 जुलाई 2025 को कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व भीतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरथारकों से प्राप्त वैथ पारेषण/ ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात मंगलवार, 29 जुलाई 2025 को शेयरथारकों के रिजस्टर में।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित किया है। बैंक द्वारा लाभांश भुगतान की तिथि से पूर्व अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया (प्राइवेट) लिमिटे ड के माध्यम से लाभांश वारंट/ मांग ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित नहीं किया है।

पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अतैव शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण पंजीकत/ अद्यतित करें :

- यदि शेयर अमूर्त रूप में हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी (यों) जहाँ उनका डीमेट खाता अनुरक्षित है, के पास निक्षेपागार सहभागी
 (यों) द्वारा अपेक्षित हो सकने वाले फॉर्म व दस्तावेज जमा करके, तथा
- यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो बैंक/ बैंक आरटीए के पास निम्न दस्तावेज जमा करके :
 - शेयरधारक का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) समाविष्ट हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति।
 - b. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा
 - c. निरस्त चेक लीफ।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (शेयर प्रमाण-पत्र)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांकित 07 मई, 2024 के अनुसार भौतिक रूप में शेपर रखने वाले समस्त शेयरधारकों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन सहित डाक पता और मोबाइल नंबर), बैंक खाता विवरण और उनके तद्विषयक फ्रोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2024 से इस प्रकार के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात बैंक खाते में प्रत्यक्ष केडिट के माध्यम से किया जाएगा। लाभांश भगतान के लिए लाभांश वारंट नहीं भेजा जाएगा।

भौतिक रूप (शेयर प्रमाण-पत्र) में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने सेबी द्वारा निर्धारित दस्तावेज अर्थात उचित बैंक विवरण, पैन, केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, को लाभांश भुगतान तिथि पर लाभांश का भुगतान किया गया माना जाएगा, हालांकि शेयरधारक (ओं) द्वारा उचित बैंक विवरण सहित संपूर्ण दस्तावेज/ विवरण उपलब्ध कराए जाने तक लाभांश राशि, बैंक के लाभांश खाते में रखीं जाएगी। बैंक/ बैंक आरटीए में उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी दस्तावेज और नामांकन विवरण प्राप्त होने पर लाभांश, संबंधित शेयरधारक (ओं) के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाण-पत्र) रखने वाले शेयरधारक (ओ) से अनुरोध है कि वे बैंक/ बैंक आरटीए को अविलंब उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करें जिससे लाभांश भुगतान तिथि पर ही उन्हें अपने बैंक खाते में इलेक्टोनिक रूप से लाभांश प्राप्त हो सके।

लाभांश भुगतान पर कर

- (i) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसरण में, 1 अप्रैल 2020 से शेयधारकों को भुगतान या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य है तथा बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दर हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और तत्संबंधी संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर होने की स्थिति में) तथा निश्चेपागारों (यदि शेयर डीमेट रूप में है) के पास अपना पैन अद्यतित कराएं।
- (ii) निवासी व्यक्तिगत शेयरथारक जिसके पास वैध पैन है और जो आयकर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर की कटौती न होने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 15-जी/ 15-एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरथारक कृपया नोट करें कि पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में 20% की उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरथारक, भारत और उनके आवासीय राष्ट्र के मध्य हुए कर समझौत के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज जैसे कोई स्थाई अधिष्ठान और हिताधिकारी स्वामित्व घोषणा-पत्र, कर निवासी प्रमाण-पत्र, फॉर्म 10-एफ, कर समझौता लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा-पत्र को https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर अपलोड करके हितकारी दर प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज़/ फॉर्म, बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर उपलब्ध है।

(iii) शेयरधारकों से अनुरोध है कि मंगलवार, 29 जुलाई 2025 की अपराह 5:00 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट अर्थात https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर उपरोक्त दस्तावेज़ों को जमा करें ताकि बैंक, उचित टीडीएस/ रोके गए कर दर पर कर निर्धारण और कर कटौती कर सके।

शेयरधारकों का मताधिकार:

अधिनियम के खंड 3 (2 ई) के प्रावधानों के संबंध में, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर, संयुक्त धारक के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में उपस्थित होने हेतु पात्र है तथा कार्यसूची की मदों पर दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा दरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में ई-एजीएम के दौरान मताधिकार का पात्र है।

10. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

- एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 44, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधान के अनुसरण में बैंक, सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-बोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दुरस्थ ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में परिचालित किए जाने वाले व्यावसायिक मदों के संबंध में अपने शेयरथारकों को उनके मतार्थिकार का प्रयोग करने की सविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए शेयरधारक की पात्रता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि मंगलवार, 29 जुलाई 2025 है।
- सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओं के प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

III. दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-मतदान तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने हेतु शेयधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के प्रकरण में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- शक्रवार, 01 अगस्त 2025 को पूर्वाह 10.00 बजे से दरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा सीमवार, 04 अगस्त 2025 को अपराह 05,00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 29 जुलाई 202**5 को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
- शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक के दौरान मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अंतर्गत सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के अनुसार, सुचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरथारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरथारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर -संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण तथा अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए समस्त डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमेट रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

iv **सचीवद्ध** कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सविधा पर **सेबी परिपत्र** एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/ 2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, डीमेट रूप में प्रतिभृतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा के अभिगम के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कराएं।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमेट रूप में प्रतिभृति रखने वाले ध्वैक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है :

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि		
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com का अवलोकन करें तथा और लॉगिन आइकन व New System Myeasi पर क्लिक करें।		
	2) सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध हैं ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सके।		
	3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।		
	4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीथे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पक्षात उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली में सीथे अभिगम करने में भी सक्षम होगा।		

एनएसडीएल के पास डीमेट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	 1) यदि आप पहले से ही NSDL IDEAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDEAs' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पक्षात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता, IDEAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com/ पर उपलब्ध है। "Register Online for IDEAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अविध के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूति धारक)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निश्वेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन के डेशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अविध के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण				
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।				

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमेट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।



- V. भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।
 - शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
 - "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें। 2
 - अब निम्नानुसार अपना युजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - सीडीएसएल हेत: 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - एनएसडीएल हेतु: 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी। ii.
 - भौतिक रूप में शेयरधारक, कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
 - दर्शार्ड गर्ड ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
 - यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेत् मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
 - यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

	भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक 'पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेंट शेयरधारकों के साथ- साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बेंक/ डिपाजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे बेंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।	
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतू अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। - यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।	

- इन विवरणों को उपयक्त रूप से प्रविष्ट करने के पक्षात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें। VI.
- सदस्य जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमेट रूप VII. में शेयर हैं "Password Creation" मेनु में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- ं शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, इस नोटिस में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया VIII. जा सकता है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं। IX.
- मतदान पृष्ठ पर आप "RESOLUTIONS DESCRIPTION" के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार X. "YES" अथवा "NO" विकल्प का चयन करें। "YES" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सुचित करता है तथा "NO" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सुचित करता है।
- यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें। XI.
- जिस प्रस्ताव पर आपने वोट देने का फैसला किया है, उसे चुनने के बाद, " SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स XII. दिखाई देगा। यदि आप अपना वोट कन्फर्म करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, " CANCEL" पर क्लिक करें और तदनसार अपना वोट संशोधित करें।
- संकल्प पर एक बार मतदान की "CONFIRM" के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। XIII.
- मतदान पृष्ठ के "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिट भी निकाल सकते XIV.
- यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा "Forgot XV. Password" पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है (यदि कोई अपलोड है) जिसे सत्यापन के लिए संवीक्षक को XVI. उपलब्ध कराया जाएगा।

XVII. गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा – केवल दूरस्थ मतदान के लिए

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयुएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "Corporates" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्केन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडिमिन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन युजर संजित करना चाहिए। अनुपालन युजर, खाता (ओ) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगिन में संबद्ध खातों की सची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
- यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्केन प्रति जिसे उन्होंनें अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि ,संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पूर्त अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया गया है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा निक्षेपागारों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

- भौतिक शेयरधारकों के लिए कृपया complianceofficer@psb.co.in/ delhi@linkintime.co.in को ई-मेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्केन प्रति (अग्र और पक्ष), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्केन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्केन प्रति) उपलब्ध कराएं।
- डीमेट शेयरधारकों के लिए कपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित
- वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए कपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार

- एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है। 1...
- बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
- दरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। डालांकि, वे एजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
- तत्पश्चात, शेयरधारकों को कैमरा उपयोग की अनुमति देने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
- कपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियों घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गडबडी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
- शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, 21 जुलाई, 2025 तक अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या; ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकत करें। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो 21 जलाई. 2025 तक अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न complianceofficer@psb.co.in पर भेजें। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समुचित रूप से दिया जाएगा।

- जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पुछने की
- केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
- 10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1-800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सविधा से जड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्ती, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) तिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

11. संवीक्षक

निध्यक्ष और पारदर्शी तरीके से ई- मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

12. अदत्त \अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्टार और शेयर अंतरण एजेंट से उपरोक्त पते पर या एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवर्ड नगर, नई दिल्ली-110023 पर बैंक के शेयर कक्ष में संपर्क करें।

13. अन्य सूचना

- सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ई-मतदान की प्रक्रिया तथा शिष्टता दर्शाने के साथ-साथ बैंक की 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना समाविष्ट, 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी, रजिस्टार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात "लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं।
- बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के महेनजर शेयरधारकों से अनरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण यथा बैंक का नाम व शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड़, आईएफएससी कोड़ इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्टॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उसकी सुचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक आरटीए को सुचित करे।
- समरूप नाम या संयुक्त नाम के समान क्रम में अनेक फोलियों में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि एकल फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण-पत्र, आरटीए को प्रेषित करें।

14. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संचार के किसी भी प्रकरण अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर/लाभाश से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप हमसे/आरटीए से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार/संचार में अपना फोलियो नंबर/ दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर/ ई-मेल पता उद्धृत करें) :

एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

यनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबल हाइटस, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच २, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दुरभाष: +91 11 4141 0592, 93, 94

फैक्स: +91 11 4141 0591

\$4cl; delhi@in.mpms.mufg.com

कंपनी सचिव

पंजाब एण्ड सिंध बेंक

कॉरपोरेट कार्यालय - एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स प्रथम तल, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर

नई दिल्ली-110023 दुरभाष: 011-40175169

ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in

सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/सीआईआर/2023/72 दिनाकित 08 जुन, 2023 के माध्यम से आरटीए को सेवा अनुरोधों/शिकायतों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकल ऑनलाइन व्यवस्था या पोर्टल स्थापित करने की सलाह दी थी।

सेबी के परामर्श अनुसार, बैंक आस्टीए (मेसर्स एमयएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने नवीनतम निवेशक स्व-सेवा पोर्टल 'SWAYAM' आरंभ किया है।

'SWAYAM' एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकुल वेब आधारित एप्लिकेशन है जो शेयरधारकों को विभिन्न सेवाओं तक सुगम पहुंच के लिए सक्षम करता है। हम आपसे अनरोथ करते हैं कि एप्लिकेशन पर अपना पंजीकरण करें और पोर्टल का प्रत्यक्ष अनभव लें।

इस एप्लिकेशन को https://swayam.in.mpms.mufg.com/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

- सेवा अनुरोध का प्रभावीं समाधान SWAYAM के माध्यम से सेवा अनुरोध/शिकायत करें और उसकी स्थिति प्राप्त करें।
- विशेषताएं उपयोगकर्ता-अनुकूल जीयुआई।
- लाभांश/ ब्याज/ संदाय/ स्पलिट जैसी कॉरपोरेट कार्रवाई निगरानी करें।
- पैन आधारित निवेश पैन से संबद्ध खातों, कंपनीवार धारिता और प्रतिभृति मुल्यांकन तक पहुँच प्रदान करता है।
- अदत्त राशि के लिए सहजतापूर्वक अनुरोध करें।
- स्वयं सेवा पोर्टल अमूर्त रूप में धारित प्रतिभृतियों और भौतिक प्रतिभृतियों के लिए, जिनके फोलियो केवाईसी अनुरूप हैं।
- विवरणी संपूर्ण धारिता और कॉरपोरेट लाभ की स्थिति का अवलोकन करें।
- लॉगिन पर द्विकारक प्रमाणीकरण (2FA) निवेशकों के लिए सुरक्षा उन्नत करता है।

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण तथा नामांकन इत्यादि प्रस्तृत करने के लिए मानदंड :

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक आरटीए को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में मूर्त रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण तथा नामांकन विवरण इत्यादि नीचे दिए गए प्रपत्रों में अविलंब बैंक/आरटीए को प्रस्तत करें :

क्र. सं.	फॉर्म/प्रपत्र	उद्देश्य	
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए।	
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभृति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए।	
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन के ऑप्टिंग-आउट के लिए घोषणा-पत्र।	
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फॉर्मे।	
5	फॉर्मे एसएच-14	नामांकन का निरसन या परिवर्तन (यदि कोई हो)।	

उपरोक्त समस्त फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) हमारी वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त के मद्देनज़र हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि मेसर्स एमयुएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 पर बैंक आरटीए को समर्थित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17.11.2023 के माध्यम निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है :

- जिन फोलियों में अनिवार्य विवरण यथा पैन, संघर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उनको अवरुद्ध/कीलन करना।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक पाधिकारी को फोलियो का संदर्भ देना।

भौतिक धारिता का अमुर्तीकरण – विशेष अनुरोध :

- सेबी ने अपने प्रेस-विक्रप्ति संख्या 12/2019 दिनांकित 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभृतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापन के प्रकरण को छोड़कर, प्रतिभृतियों के अंतरण संबंधी अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभृतियों को दिनांक 01,04,2019 से निक्षेपागार के पास गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में न रखा जाए। इसलिए, इम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक धारिता को अविलंब डीमैट कराएं।
- सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, भौतिक रूप में धारित प्रतिभृतियों का अंतरण दिनांक 01.04.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण उसी स्थिति में किया जा सकता है जब शेयर गैर-कागजी (डीमैट) रूप में रखे गए हों।
- इसके अतिरिक्त, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांकित 25.01.2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सचीबद्ध कंपनियां भविष्य में अनुलिपि शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रेषण, प्रतिस्थापन इत्यादि के अनरोधों पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभृतियाँ जारी करेंगी। उपरोक्त के मद्देनजर बैंक के समस्त शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपना शेयर अमूर्तीकृत कराएं। शेयरों को गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में धारित करने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :
 - भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र के क्षतिग्रस्त होने अथवा गुम होने की संभावना क्षीण हो जाती है;
 - शेयर प्रमाणपत्रों के फटने या जालसाजी या विकत होने की संभावना समाप्त हो जाती है:
 - 👊 अमुर्तीकरण से शेयरों के कागज रहित व्यापार की सुगमता और सुविधा मिलती है। एक बार निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास डीमैट खाता खुल जाने पर शेयरधारक सहजतापूर्वक इलेक्टोंनिक रूप में शेयर क्रय अथवा विक्रय कर सकता है।

17. भौतिक रूप में धारित शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए प्रक्रिया

विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में अमर्तीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है

(A) शेयरधारक जिनके पास डीमैट खाता नहीं है :

शेयरधारकों को अपने निकटतम निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करना होगा तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक में धारित शेयर के अनुरूप नाम व शैली में डीमैट खाता खुलवाना होगा।

डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ), डीपी को सौंपना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर श्रेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्वा में शेयर जमा किए जाएंगे।

(B) शेयरधारक जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है :

जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचना आवश्यक है कि क्या उनका विद्यमान डीमैट खाता, पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार उसी नाम और शैली में है। यदि हाँ, तो शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, निक्षेपागार सहभागी के पास जमा करना होगा जो इसे बैंक आरटीए को अग्रेषित

आस्टीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि विद्यमान डीमैंट खाता. नाम के समान क्रम में नहीं है तो शेयरधारक को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।

यदि विद्यमान शैयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई बदलाव है तो हमारे आरटीए अर्थात एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या उपरोक्त उल्लिखित पते पर बैंक से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

: नई दिल्ली दिनांक : 14.07.2024 साकेत मेहरोत्रा कंपनी सचिव



व्याखात्मक विवरणी

मद संख्या 3 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीवा को नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरथारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, 9 अगस्त, 2024 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव की नियुक्ति हेतु शेयरथारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या ईएफ.सं.4/5(ii)/2023-बीओ। दिनांकित 9 अगस्त, 2024 के अनुसार पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्धात 9 अगस्त, 2024 से या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री राजीवा को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 36(3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार ईजीएम में नियुक्ति के इच्छक निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम : श्री राजीवा आयु : 57 वर्ष

श्री राजीवा का संक्षिप्त परिचय

शैक्षणिक योग्यता : कला में स्नातकोत्तर, बैंकिंग एवं वित्त में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

श्री राजीवा ने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व वह पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। कला में स्नातकोत्तर सहित बैंकिंग और वित्त में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

उन्होंने वर्ष 1993 में पंजाब नैशनल बैंक में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरूआत की। तीन दशकों से अधिक के कैरियर में श्री राजीवा को समस्त प्रमुख बैंकिंग क्षेत्रों विशेषतः प्रामीण तथा नगरीय शाखाओं में कार्य का अनुभव है। उन्हें क्रेडिट, विशेष रूप से कॉरपोरेट क्रेडिट में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने पीएनबी की विदेशी सहायक कंपनी पीएनबी (अंतरराष्ट्रीय) लिमिटेड का नेतृत्व किया है।

उन्होंने मैकेन्ज़ी और एफएसआईबी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "आरोहण" प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- c) अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : शून्य
- विगत तीन वर्षों में श्री राजीवा जिन सचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शन्य
- एंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता : श्रून्य

श्री राजीवा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री राजीवा या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 3 में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 4 : बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियक्ति या पुनर्नियक्ति हेत् शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनसार, 12 दिसंबर, 2024 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति हेत शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (८) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना संदर्भ एफ. सं.६/3/2011-बीओ-। दिनांकित 12 दिसंबर, 2024 के अनुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक श्री विवेक श्रीवास्तव को पंजाब एण्ड सिंध बैंक में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति के इच्छक निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम : श्री विवेक श्रीवास्तव

: 57 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता : लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.एससी

श्री विवेक श्रीवास्तव का संक्षिप्त परिचय

श्री विवेक श्रीवास्तव एक अनुभवी केंद्रीय बैंकर हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात नवंबर, 1990 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने आरबीआई के विभिन्न केंद्रों एवं विभागों में कार्य किया है एवं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में सेवाएं प्रदान की है तथा वर्तमान में चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने मुद्रा प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश भाग मुंबई में केंद्रीय कार्यालय के विभागों में पूर्ण किया है, इस दौरान उन्होंने विनियमन विभाग एवं विदेशी मुद्रा विभाग जैसे प्रमुख विभागों में लंबे समय तक कार्य किया है। वह केवाईसी, एएमएल, सीएफटी के क्षेत्र में एक प्रमुख कार्मिक रहे हैं। उन्होंने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की कई पूर्ण बैठकों में भाग लिया और देश का प्रतिनिधित्व किया तथा इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकार द्वारा गठित संयुक्त कार्य समूह में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया, जो देश के जोखिम मूल्यांकन का आकलन करता है। उन्होंने एएमएल के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर वक्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में निपटाने की नीति निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का वहन किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कीशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : श्रन्य
- विगत तीन वर्षों में श्री विवेक श्रीवास्तव जिन सुचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शुन्य
- धंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता : शुन्य

श्री विवेक श्रीवास्तव भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री विवेक श्रीवास्तव या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 4 में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।



मद संख्या 5 : बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 (2A) के अनुसार, किसी सुवीबद्ध संस्था के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा। तदनुसार, 11 अप्रैल, 2025 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निर्देशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरथारकों का अनुमोदन अपेक्षित

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (h) एवं उपधारा (3A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसुचना ईएफ.सं. 6/1(iii)/2024-बीओ.। दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 से अधिसुचना की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री शंकर लाल अग्रवाल को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में 11 अप्रैल, 2025 से पुनर्नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में पुनर्नियुक्ति के इच्छक निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम : श्री शंकर लाल अग्रवाल

: 65वर्ष

शैक्षणिक योग्यता ः सनदी लेखाकार

श्री शंकर लाल अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय

श्री शंकर लाल अग्रवाल सनदी लेखाकार हैं तथा वर्ष 1989 से एस गर्ग एंड कंपनी के वरिष्ठ साझेदार हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी. कॉम और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें लेखा, कराधान, बजट एवं सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे विभिन्न समितियों यथा राजस्थान सरकार की राज्य लोक निवारण और शिकायत समिति, आईसीएआई की शैक्षणिक समिति और परियोजना समिति, आईसीएआई की सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा समिति, आईसीएआई की क्षेत्रीय राज्यवार पी.डीसी उप समिति राजस्थान में सह-समन्वयक, तकनीकी सलाहकार सरकारी उद्यमी, वैट सलाहकार और शिकायत समिति, वित्त और बजट सलाहकार समिति, राजस्थान कर सलाहकार संघ के कार्यकारी सदस्य के रूप में शामिल रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अध्ययन समूहों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ताशकंद (उज्बेकिस्तान), बाली (इंडोनेशिया) हांगकांग, मकाऊ, हंगरी (बुडापेस्ट), चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि का दौरा किया। उन्होंने अनेक पस्तुके लिखी हैं तथा कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए संपादकीय भी लिखे हैं। वे भारत सरकार के उपक्रम हिंदस्तान साल्ट लिमिटेड और सांभर साल्ट लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक भी रहे हैं।

सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : श्रन्य
- विगत तीन वर्षों में श्री शंकर लाल अग्रवाल जिन सुचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शून्य
- e) पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता : शन्य

श्री शंकर लाल अग्रवाल भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतू पात्र हैं।

श्री शंकर लाल अग्रवाल या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक , बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 5 में वर्णित विशेष संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 6 : बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा के कार्यकाल विस्तार को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मेडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, दिनांक 03.06.2022 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा की नियुक्ति हेतु एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसचना एफ. सं. 4/3/2024-बीओ। दिनांकित 02.06.2025 के अनुसार श्री स्वरूप कमार साहा को 03 जन, 2022 से उनके प्रदेभार ग्रहण करने की तिथि या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति के इच्छुक निदेशक का विवरण।

निदेशक का नाम : श्री स्वरूप कुमार साहा

: 56 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता : विज्ञान में स्नातक, सीएआईआईबी, आईआईबीएफ से कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा, आईआईबीएफ से वित्तीय सेवा में जोखिम में प्रमाण-पत्र।

श्री स्वरूप कुमार साहा का संक्षिप्त परिचय

श्री स्वरूप कुमार साहा ने 3 जुन, 2022 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में एमडी एवं सीईओ के पद पर कार्यरत होने से पूर्व वे 10 मार्च, 2021 से पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

श्री साहा, कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं तथा वर्ष 1990 में उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अपने बैंक कैरियर का आरंभ किया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित संबद्ध सदस्य (सीएआईआईबी) हैं। इन्होंने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा और सीआईएसआई, लंदन के सहयोग से आईआईबीएफ द्वारा वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किए हैं।

अपने 30 वर्षों से अधिक के कैरियर में इन्हें मानव संसाधन विकास, कोष, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, जोखिम प्रबंधन, संगठन पुनर्सरचना और बोर्ड मामलों का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने टेजरी एंड इंटरनेशनल बिजनेस,वसली, खदरा, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई (रैम) क्रेडिट, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और डिजिटल सहयोग, शुल्क आय और समूह व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री साहा ने पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री साहा, आईआईएम, बैंगलोर के माध्यम से आयोजित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के 2019 में प्रमुख नेतृत्व विकास कार्यक्रम में प्रतिभागियों में शामिल थे। इन्होंने सीएएफआरएएल/ स्टर्न बिज़नेस स्कूल, न्यूयॉर्क द्वारा संचालित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम तथा एनआईबीएम और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यएसए द्वारा संचालित नेतत्व विकास कार्यक्रम में सहभागिता की है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कीशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- c) अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : शून्य
- विगत तीन वर्षों में श्री स्वरूप कुमार साहा जिन सुवीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शून्य
- e) पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता : शुन्य



श्री स्वरूप कुमार साहा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री स्वरूप कुमार साहा या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक , बैंक में उनकी शेयरथारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सचना में संलग्न मद संख्या 6 में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 7 : वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स आर एस कथुरिया एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की नियक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24A के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक सुचीबद्ध इकाई एवं उसकी महत्वपूर्ण गैर-सुचीबद्ध सहायक कंपनियों को एक सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करानी होगी तथा सचीबद्ध इकाई की वार्षिक रिपोर्ट सहित निर्दिष्ट प्रपत्नों में एक सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई निम्नलिखित को नियुक्त या पुनर्नियुक्त करेगी:

- (i) किसी व्यक्ति का सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में एक कार्यकाल लगातार पाँच वर्षों से अधिक का नहीं हो; या
- (ii) किसी सचिवीय लेखा परीक्षा फर्म को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में दो कार्यकाल लगातार पाँच वर्षों से अधिक के नहीं हो।

मेसर्स आर. एस. कथरिया एंड कंपनी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

श्री आर. एस. कथरिया एक कार्यरत कंपनी सचिव हैं तथा उन्होंने अप्रैल 1999 में इस फर्म की स्थापना की थी। उन्हें 25 वर्षों से अधिक का अनभव प्राप्त है तथा वह कॉरपोरेट कानुनों, प्रतिभृति कानुनों, विलय, एकीकरण, विभाजन, अनुबंधों एवं मुकदमों, भारत में बहराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियों के वैधानिक अनुपालन लेखा परीक्षा, सरकारी अनुमोदनों के लिए संपर्क, नए व्यवसाय की स्थापना आदि से संबंधित पेशेवर सलाहकार सेवाओं एवं सचिवीय सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त हैं।

बैंक के अनुरोध के अनुसार, उन्होंने ₹1,20,000 प्रति वर्ष के शुक्क और लागु करों पर बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने हेत सहमति व्यक्त की है।

बैंक के निदेशक मंडल ने 20 जुन, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स की नियुक्ति की अनुशंसा की है। मेसर्स आर. एस. कथुरिया एंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव, को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में उपर्यक्त शुरू के अनुसार नियुक्त किया जाता है जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा के अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रस्ताव में हितबद्ध या संबद्ध नहीं माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 14.07.2025 साकेत मेहरोत्रा कंपनी सचिव

Puniab & Sind Bank (A Government of India Undertaking) Head Office:21, Rajendra Place, New Delhi-110 008 Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 https://punjabandsindbank.co.in/

NOTICE

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 5th August, 2025 at 11.00 a.m. (the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business(es):

Ordinary Business:

Item No 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31 March 2025, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 March 2025, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No 2: To approve and declare dividend for the Financial Year 2024-25.

Special Business:

Item No 3: To approve appointment of Shri Rajeeva as an Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of Shri Rajeeva, as an Executive Director of the Bank under clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification no.eF.no.4/5(ii)/2023-BO.I dated August 9, 2024 issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.

Item No 4: To approve appointment of Shri Vivek Srivastava as the RBI Nominee Director of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of Shri Vivek Srivastava, as RBI Nominee Director of the Bank under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref F.No.6/3/2011-BO-I dated December 12, 2024 issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved.



Item No 5: To approve the reappointment of Shri Shankar Lal Agarwal as a Part-time Non-Official Director of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as a Special Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with Regulation 25 (2A) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the re-nomination of **Shri Shankar Lal Agarwal**, as part-time Non-Official Director of the Bank under clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref F.No.6/1(viii)/2024-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated April 11, 2025 for a period of 1 year from the date of the notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.

Item No 6: To approve extension of tenure of Shri Swarup Kumar Saha as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the extension of tenure of Shri Swarup Kumar Saha, as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref eF.No.4/3/2024-BO-I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated June 02, 2025 beyond the current notified term till the date of his superannuation i.e. up to February 28, 2027 or until further orders, be and is hereby approved.

Item No 7: To approve the Appointment of M/s R S Kathuria & Co, Practising Company Secretary as the Secretarial Auditor for carrying out Secretarial Audit and Issuance of Annual Secretarial Compliance Report for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws, if any, the relevant circulars issued by SEBI (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) approval of the members of the Bank be and is hereby accorded, for appointment of M/s R S Kathuria & Co, Practising Company Secretary (Firm Regn. No S1999DE877800) as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: 14.07.2025 Saket Mehrotra Company Secretary

NOTES

ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Pursuant to Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs, the 15th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 15th AGM shall be the Head Office of the Bank at New Delhi. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. APPOINTMENT OF PROXIES: A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Thursday, 31 July 2025.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, July 30, 2025 to Tuesday, August 05, 2025 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

6. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Record date for payment of Dividend will be Tuesday, July 29, 2025.

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.0.07 per equity share of Rs.10 each for the Financial Year ended 31st March 2025, subject to the approval of shareholders at the 15st Annual General Meeting. The payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting will be made to those shareholders whose names appear:

- As beneficial owners as at the close of business hours on Tuesday, July 29, 2025 as per the records of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form, or
- In the Register of Shareholders as on Tuesday, July 29, 2025, after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of Tuesday, July 29, 2025

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their Bank Account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e., MUFG Intime India (Pvt) Ltd before the date of payment of dividend to the registered address of the shareholders who have not updated their Bank Account details.

The Dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 15th Annual General Meeting.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete Bank details:

- With their Depository Participant (s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in dematerialized mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant (s), and
- ii) With the Bank / Bank's RTA, if the shares are held in physical mode, by submitting:
 - Copy of the signed request letter containing the Shareholders name, Folio number, Bank details (Bank Account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details)
 - Self-attested copy of the PAN card, and
 - c. Cancelled cheque leaf.

7. Payment of Dividend to Shareholders holding Share in physical form (Share Certificate):

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding Folio numbers. Further with effect from 01.04.2024, dividend to such shareholders will be paid only through electronic mode, i.e. direct credit into Bank Account. Dividend Warrant will not be sent towards payment of dividend.

The dividend to those shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) and have/has not submitted the documents prescribed by SEBI, i.e. proper Bank details, PAN, KYC documents and Nomination details shall be deemed to have been paid on dividend payment date, however the dividend amount will remain lying in Bank's Dividend Account unless complete documents/ details

proper Bank details are provided by the shareholder(s). Once the proper Bank details, other KYC documents and Nomination details are received by the Bank/ Bank's RTA, dividend will be remitted directly to Bank Account of the respective Shareholder(s).

In view of the above, Shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to furnish proper Bank details, other KYC and Nomination details at the earliest to the Bank/Bank's RTA so as to get his/her dividend remitted electronically in his/her Bank Account on dividend payment date itself.

8. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

I. Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

ii. A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations by uploading them on https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. The relevant documents / forms are available on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/.

iii. The shareholders are requested to submit the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), Tuesday, July 29, 2025 on the website of the RTA viz. https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/ submission-of-form-15g-15h.html in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / with holding tax rate.

9. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the items on the agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

10. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Tuesday, July 29, 2025.
- II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- III. The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:
 - Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.
 - **Step 2**: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.
 - The remote e-voting period begins at 10:00 a.m. on Friday, 1st August, 2025 and ends at 05:00 p.m. on Monday, 4th August, 2025. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of Tuesday, 29th July, 2025, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote during the meeting.
 - iii. Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

iv. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	 Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on Login icon &New System MyeasiTab.
Depository	2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-Voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.
	 If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.
	4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered

Type of shareholders	Login Method
	Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
	 If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
	3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- v. Login method for remote e-Voting and joining virtual meeting for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
 - The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - Click on "Shareholders" module.
 - Now enter your User ID
 - For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 - 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 - 6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
	 Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.
Date of Birth (DOB)	 If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- vi. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- viii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- x. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting, Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xi. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xiv. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the XV. image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the
- xvi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xvii. Additional Facility for Non-Individual Shareholders and Custodians For remote Voting only
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.
 - It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

 Alternatively Non Individual shareholders are required to mandatorily send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz: scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

- For Physical shareholders —Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (selfattested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in/delhi@in. mpms.mufg.com
- For Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
- 3. For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no, with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING ARE AS UNDER:

- The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- 2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- 3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
- Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 6. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance by 21"July 2025 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at

complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries 21st July 2025 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
- 10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-22-5533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call ontoll free no. 1800225533.

11. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023.

13. OTHER INFORMATION

a) In compliance with the SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2024-25 containing the Notice of the 15thAnnual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "MUFG Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).

- b) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@in.mpms.mufg.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.

CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS 14.

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Punjab & Sind Bank, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

MUFG Intime India Pvt Ltd. Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: +911141410592, 93, 94

Fax: +91 11 4141 0591

Email: delhi@in.mpms.mufg.com

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1" Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023.

Telephone: 011-40175169,

E-mail: complianceofficer@psb.co.in

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 dated June 08, 2023 had advised RTA's to set up a user-friendly online mechanism or portal for service requests/complaints.

As advised by SEBI, Bank's RTA (M/s MUFG Intime India Private Limited) has launched 'SWAYAM', a brandnew Investor Self-Service Portal.

'SWAYAM' is a secure, user-friendly web-based application that empowers shareholders to effortlessly access various services. We request you to get registered and have first-hand experience of the portal.

This application can be accessed at https://swayam.in.mpms.mufg.com/

- Effective Resolution of Service Request -Generate and Track Service Requests/Complaints through SWAYAM.
- Features Auser-friendly GUI.
- Track Corporate Actions like Dividend/Interest/Bonus/split.

16. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS — A SPECIAL REQUEST:

- a) SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to Demat their physical holding immediately.
- In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares. Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:
 - Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
 - Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
 - iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

17. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM:

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Punjab & Sind Bank.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Punjab & Sind Bank. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

- PAN-based investments Provides access to PAN linked accounts, Company wise holdings and security valuations.
- Effortlessly raise request for Unpaid Amounts.
- Self-service portal for securities held in demat mode and physical securities, whose folios are KYC compliant.
- Statements View entire holdings and status of corporate benefits.
- Two-factor authentication (2FA) at Login Enhances security for investors.

15. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:

SI No	Form	Purpose	
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details	
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank	
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination	
4	Form SH-13	Nomination Form	
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)	

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) are available on our website at https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150 2021123116360123014.pdf.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at MUFG Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of-

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002



The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s MUFG Intime India Private Limited or Bank at address mentioned above.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date:14.07.2025

Saket Mehrotra Company Secretary

EXPLANATORY STATEMENT

Item No 3: To approve appointment of Shri Rajeeva as an Executive Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required for appointment of Shri Rajeeva as Executive Director of the Bank w.e.f August 9, 2024.

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide Notification no.eF.no.4/5(ii)/2023-BO.I dated August 9, 2024 has appointed Shri Rajeeva as Executive Director of Punjab & Sind Bank, w.e.f. the date of assumption of office i.e. August 9, 2024 or until further orders, whichever is earlier.

Details of Director seeking appointment at the EGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Rajeeva

Age: 57 years

Brief Profile of Shri Rajeeva

Educational Qualification: Postgraduate in Arts, Master of Business Administration in Banking & Finance and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Rajeeva has assumed charge as an Executive Director of the Bank today. Prior to his elevation as Executive Director of Punjab & Sind Bank, he was Chief General Manager of Punjab National Bank. Shri Rajeeva, a postgraduate in Arts, is also a Master of Business Administration in Banking & Finance and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

He joined the services of Punjab National Bank in 1993. In a career spanning over three decades, Shri Rajeeva gained expertise in almost all the key areas of banking, having served in Rural and Urban Branches. He has a specialization in Credit, more specifically Corporate Credit. He has headed the PNB's overseas subsidiary PNB (International) Limited.

He has undergone "Aarohan" training jointly conducted by McKinsey and FSIB

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

 a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.



- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Rajeeva has ceased tobe Director in the past three years: Nil
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

Shri Rajeeva is entitled to Remuneration / Compensation as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Rajeeva or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 4: To approve appointment of Shri Vivek Srivastava as the RBI Nominee Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required for appointment of Shri Vivek Srivastava as RBI Nominee Director of the Bank w.e.f December 12, 2024.

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide Notification Ref F.No.6/3/2011-BO-I dated December 12, 2024 has appointed Shri Vivek Srivastava as RBI Nominee Director of Punjab & Sind Bank, with immediate effect and until further orders.

Details of Director seeking appointment at the EGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Vivek Srivastava

Age: 57 years

Educational Qualification: M.Sc from University of Lucknow-

Brief Profile of Shri Vivek Srivastava

Shri Vivek Srivastava is a career Central Banker, having joined Reserve Bank of India in November 1990, fresh out of University. He has served across centres and departments in the RBI, having served in Delhi, Bengaluru, Mumbai and is currently posted as the Regional Director of its Chandigarh Regional Office. He has worked in areas like Currency Management, Public Debt Management, and Human Resources among others. He has served major part of the career in Central Office Departments in Mumbai working for long in key departments like the Department of Regulation and Foreign Exchange Department. He has been a key personnel in the landscape of KYC, AML, CFT, was part of country delegate to the Financial Action Task Force

having attended several FATF Plenary meetings and was a member of the Joint Working Group of the Govt., representing RBI, on assessment of country-risk. He has been a speaker in various national and international fora in the area of AML. He has also worked in other regulatory areas like Banking Subsidiaries, Financial Services, Bank assurance, Wealth Management and Export Credit. He has worked extensively in the Foreign Exchange Department; International Trade has been an area of specialization. He played a key role in formulating the policy of settlement of international trade in INR.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Vivek Srivastava has ceased to be Director in the past three years: Nil
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

Remuneration / Compensation payable to Shri Vivek Srivastava is as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Vivek Srivastava or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 5: To approve the reappointment of Shri Shankar Lal Agarwal as a Part-time Non-Official Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Further, Regulation 25 (2A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 requires that the appointment, reappointment or removal of an independent director of a listed entity shall be subject to approval of the shareholders by way of a special resolution. Accordingly, approval of shareholders by way of special resolution is required in the AGM for reappointment of Shri Shankar Lal Agarwal as part-time Non-Official Director on the Board of the Bank w.e.f April 11, 2025.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification eF.No.6/1(iii)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has renominated Shri Shankar Lal Agarwal as Parttime Non-Official Director on the Board of Punjab & Sind Bank, w.e.f. April 11, 2025 for a period of 1 year from the date of the notification or until further orders, whichever is earlier.



Details of Director seeking re-appointment at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Shankar Lal Agarwal

Age: 65 years

Educational Qualification: Chartered Accountant

Brief Profile of Shri Shankar Lal Agarwal

Shri Shankar Lal Agarwal is a Practicing Chartered Accountant and Senior Partner of S Garg & Company since 1989. He has done B.Com and LLB from University of Rajasthan. He has vast experience in the field of accounts, Taxation, Budgeting and public finance. He has been member in various committees namely; State Public Redressal & Grievance Committee of Govt. of Rajasthan, Academic Committee and Project Committee of ICAI, Committee of Public finance and Government accounting of ICAI, Co-coordinator in regional State wise PDC Sub Committee Rajasthan of ICAI, Technical advisor Government Entrepreneur, VAT advisory & Grievance Committee, Finance & Budget Advisory Committee, Executive member of Rajasthan Tax Consultants Association. He visited USA, Canada, UAE, Thailand, Malaysia, Singapore Tashkent(Uzbekistan), Bali(Indonesia) Hong Kong, Macao, Hungary(Budapest), Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany, etc. in various study groups. He has written various books and also written editorials for many renowned magazines. He was an Independent Director of Hindustan Salt Ltd. and Sambhar Salt Ltd., Govt. of India undertaking.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Shankar Lal Agarwal has ceased to be Director in the past three years: Punjab & Sind Bank
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

No Remuneration / Compensation besides sitting fee is payable to Shri Shankar Lal Agarwal by the Bank.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Shankar Lal Agarwal or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 6: To approve extension of tenure of Shri Swarup Kumar Saha as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for Extension of Tenure of Shri Swarup Kumar Saha as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank upto February 28,2027

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification F.No.4/3/2024-BO.I dated 02.06.2025 has Extended The Tenure of Shri Swarup Kumar Saha as Managing Director and Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank, beyond the current notified term till the date of his superannuation i.e. up to February 28, 2027 or until further orders,

Details of Director seeking extension of tenure at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Swarup Kumar Saha

Age: 58 years

Educational Qualification: Graduate in Science, CAIIB, Diploma in Treasury, Investment and Risk Management from IIBF, Certificate in Risk in Financial Services from IIBF.

Brief Profile of Shri Swarup Kumar Saha

Shri Swarup Kumar Saha assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank on 3rd June, 2022. Prior to his elevation as MD & CEO of Punjab & Sind Bank, Shri Saha was Executive Director of Punjab National Bank since March 10, 2021.

Shri Saha, a graduate in Science from University of Calcutta, started his career in Banking in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1990 as Probationary Officer. He is a Certified Associate member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and Certificate in Risk in Financial Services from IIBF in collaboration with CISI, London.

In a career spanning over three decades, he has vast experience and expertise in Human Resource Development, Treasury, International Banking, Credit, Risk Management, Organization Restructuring and Board matters.

While working as Executive Director at Punjab National Bank, he made significant contribution to Treasury & International Business, Recovery, Retail, Agriculture & MSME (RAM) Credit, Digital Banking, FinTech & Digital collaborations, Fee Income and Group Business. Shri Saha also served as Chairman on the Boards of PNB Gilts Limited and PNB Cards & Services Limited.

Shri Saha was one of the participants for the flagship Leadership Development Program of Banks Board Bureau (BBB) in 2019 conducted through IIM, Bangalore. He has also participated in Advanced Management



Program conducted by CAFRAL/Stern Business School, New York and Leadership Development Program conducted by NIBM/ Kellogg School of Management, USA.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Swarup Kumar Saha has ceased to be Director in the past three years: Nil
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

Shri Swarup Kumar Saha is entitled to Remuneration / Compensation as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Swarup Kumar Saha or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 7: To appoint M/s R S Kathuria & Co as the Secretarial Auditor for carrying out Secretarial Audit and Issuance of Annual Secretarial Compliance Report for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor and shall annex a Secretarial Auditor Report in such forms as specified, with the annual report of the listed entity. On the basis of recommendation of Board of Directors, a listed entity shall appoint or re-appoint

- (i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or
- (ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more thantwo terms of five consecutive years.

Brief profile of M/s. R S Kathuria & Co is as under:

Sh. R S Kathuria is a Practising Company Secretary and established the firm in April 1999. He has more than 25 years' experience and specializes in professional advisory services and secretarial services with respect to Corporate Laws, Securities Laws, Mergers, Amalgamations, Demerger, Contracts & Litigations, Statutory Compliance Audit of MNC subsidiaries in India, Liaison for Government Approvals, setting up of New Business etc.

Based on request of the Bank, they have consented to act as Secretarial Auditor of the Bank at a fee of

Board of Directors of the Bank in its meeting held on June 20, 2025 has recommended appointment of M/s. R S Kathuria & Co, Practicing Company Secretary, as Secretarial Auditor of the Bank for a consecutive period of 5 years from FY 2025-26 to FY 2029-30 as per the fees mentioned above, subject to approval of the shareholders in the ensuing AGM.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date:14.07.2025

Saket Mehrotra Company Secretary